



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24042020-219132
CG-DL-E-24042020-219132

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1182]
No. 1182]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 24, 2020/वैशाख 4, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 24, 2020/VAISAKHA 4, 1942

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2020

का. आ.1325(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 21 नवम्बर, 2019 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4222(अ), तारीख, 20 नवम्बर, 2019 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध, और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों, "द टाइम्स आफ इंडिया" (अंग्रेजी) तारीख 10 जनवरी, 2020 और "दिव्य भास्कर" (गुजराती) में तारीख 11 जनवरी, 2020 को प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई भी आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह धोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह और घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर अनन्य रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले में प्रस्तावित रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण.

जिले का नाम : मेहसाणा

क्रम संख्या	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	नया सर्वेक्षण/ब्लॉक संख्या		पुराना सर्वेक्षण/ब्लॉक संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	हैक्टर में क्षेत्रफल	भूमि मालिक / हितबद्ध व्यक्ति का नाम
1	2	3	4(क)	4(ख)	5(क)	5(ख)	6	7	8	9
1	कड़ी	घुमासन	733		110 P2		निजी	खेती	0.0395	पटेल बलदेवभाई अंबालाल
2			734		110 P1		निजी	खेती	0.0200	पटेल कांतिभाई अंबारामदास पटेल अरविंदभाई अंबारामदास पटेल रसिकभाई अंबारामदास
3	मेहसाणा	हेडुवा हनुमंत	25/002		0 बिन नंबर 4		निजी	खेती	0.5259	रबारी बलदेवभाई हरजीभाई

[फा. सं. 2020/एलएमएल-II/12/1/डब्ल्यू सी/2008]

अजय शर्मा, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं-1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2020

S.O.1325(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 4222(E), dated the 20th November, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub – section (ii), dated the 21th November, 2019 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Mehsana in the State of Gujarat.

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers namely, “The Times of India” (English), dated the 10th January, 2020 and “Divya Bhaskar” (Gujarati) dated the 11th January, 2020 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objection has been received by Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act the Competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the district Mehsana for Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the State of Gujarat.

Name of District: Mehsana

Serial Number	Name of Taluka	Name of Village	New Survey/Block Number		Old Survey/Block Number		Type of Land	Nature of Land	Area in Hectares	Name of Land Owners/Interested Persons
1	2	3	4(a)	4(b)	5(a)	5(b)	5	6	7	8
1	Kadi	Ghumasan	733		110 P2		Private	Agriculture	0.0395	Patel Baldevbhai Ambalal.
2			734		110 P1		Private	Agriculture	0.0200	Patel Kantibhai Ambaramdas, Patel Arvindbhai Ambaramdas, Patel Rashikbhai Ambaramdas.
3	Mahesana	Heduva Hanumant	25/002		0 without number/4		Private	Agriculture	0.5259	Rabari Baldevbhai Harjibhai.

[F. No.2020/LML-II/12/1/WC/2008]

AJAY SHARMA, Executive Director (Land and Amenities-1)